

देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छूट वाली सेवाओं को लेकर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण जारी, अब किताब और मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी खुलेंगी

मुम्बई से एम्बुलेंस लेकर मोतिहारी के फेनहारा आ रहे युवक को शिवहर में रोका, हुई जांच, निकला पोजेटिव, शिवहर सदर अस्पताल में भर्ती, मचा हड़कंप

डॉक्टरों पर हो रहे हमलों से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाराज, 23 अप्रैल को काला दिवस मनाने का किया एलान

कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में बीजेपी विधायक के कोटा से बेंटी को लाने के मामले में एसडीओ निलंबित, विधायक पर भी होगी कार्रवाई, वाहन चालक से भी मांगा गया स्पष्टीकरण

WINNER GROUP OF COMPANIES
WINNER CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED
 (REGD. NO. MICH000220010)
 पूरे बिहार, भारत-व्यापक सेवा संचालित एवं मान्यता प्राप्त
 1 Winner Credit Co-operative Society
 2 Winner Pharma Medicines
 3 Winner Real Estate
 4 Winner Digital Media (Web, Print, TV, Radio)
 5 Winner Health & Personal Care
 6 Winner Money Finance (Bank, Insurance, Mutual Fund)
 7 Winner Film Distribution (All Major Studios)
 8 Winner Special Services (Event Management, Wedding Planning)

युवराज
NEWS TODAY
 www.newstodayupdate.in

न्यूज़ टुडे
 राष्ट्रीय हिन्दी पत्रिका
 आपकी आवाज़
 RNI:- BIHHIN05409
 website : newstodayupdate.in

रजि० कार्यालय :
 अस्थाना निवास,
 मठिया जिरात,
 मोतिहारी-845401
 समाचार एवं विज्ञापन
 के लिए संपर्क करें-
 9471005272

email: newstodaymth@gmail.com

वर्ष : 06 अंक : 07+21 तिथि : 22 अप्रैल 2020 मूल्य : नि:शुल्क प्रधान संपादक : डा. राजेश अस्थाना - 9471005272, 8210595830

न्यूज़ टुडे लॉक डाउन स्पेशल रोजाना अंक

मुम्बई से एम्बुलेंस लेकर मोतिहारी के फेनहारा आ रहे युवक को शिवहर में रोका, हुई जांच, निकला पोजेटिव, शिवहर सदर अस्पताल में भर्ती, मचा हड़कंप



डा. राजेश अस्थाना,
 एडिटर इन चीफ,

बिहार में कोरोना वायरस मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है आज एक बार फिर से 5 पॉजिटिव केस सामने आया है। इस तरह से संख्या बढ़कर 131 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इसकी पुष्टि की है।

अब तक बिहार के 15 जिलों में कोरोना पॉजिटिव का मरीज सामने मिला था लेकिन आज संख्या बढ़ गई है और उसमें पूर्वी चंपारण भी जुड़ गया है पूर्वी चंपारण के 25 साल का युवक मो० आलम कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।

बताया जाता है कि मुम्बई से एम्बुलेंस लेकर मोतिहारी के फेनहारा आ कि कोरोना वायरस से बचने के लिए रहे युवक मो० आलम को शिवहर में सतर्कता आवश्यक है। फिलहाल युवक रोका गया,

बिग ब्रेकिंग



मो० आलम के ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाले जा रही है।

आज बिहारजो पांच पोजिटिव केस मिले हैं उसमें दो महिला जिनकी उम्र 30 साल और 57 साल है और एक पुरुष जिसका उम्र 62 साल है यह तीनों पटना के खाजपुरा के रहने वाले हैं वहीं एक महिला जो 26 साल की है वह बिहार शरीफ की रहने वाली है जबकि पूर्वी चंपारण के फेनहारा के रहने वाले एक शख्स भी पॉजिटिव मिला है।

फिर उसका कोरोना जांच किया गया, जो निकला पोजेटिव। उसे शिवहर सदर अस्पताल में ही कोरंटाइन में भर्ती किया गया है, पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी कपिल अशोक शीर्षत ने इसकी पुष्टि की

डीएम शीर्षत ने कहा कि अभी तक पूर्वी चंपारण में एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। डीएम श्री अशोक ने कहा है

सुद के परिवार की चिंता किए बिना देश के नाम अपना जीवन समर्पित कर चुके ऐसे 'कोरोना योद्धाओं' को पूरे देश का सलाम
न्यूज़ टुडे परिवार
 www.newstodayupdate.in



डा. राजेश अस्थाना,
 एडिटर इन चीफ,

कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी के नवादा जिले के हिंसुआ के विधायक अनिल सिंह कोटा में पढ़ रही बेंटी को वहां से बिहार ले आए हैं। जबकि, आम लोगों के बच्चे वहीं फंसे पड़े हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद विधायक को कोटा आने-जाने के लिए पास जारी करने वाले अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है। अन्य सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस बीच कोटा सहित राजस्थान के अन्य इलाकों में फंसे बिहारी छात्रों व कामगारों के रहने-खाने की व्यवस्था के लिए बिहार सरकार ने राजस्थान सरकार पर दबाव बढ़ाया है।

कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में बीजेपी विधायक के कोटा से बेंटी को लाने के मामले में एसडीओ निलंबित, विधायक पर भी होगी कार्रवाई, वाहन चालक से भी मांगा गया स्पष्टीकरण



के लिए कोटा ले जाने के मामले पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) विजय कुमार चौधरी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। विधानसभा सचिवालय ने विधायक के वाहन चालक शिवमंगल चौधरी से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले सभी संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विधायक जिस गाड़ी गाड़ी (बीआर 1 पीजे 0484) से कोटा गए, वह उन्हें सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सचेतक के रूप में आवंटित है। इसे वह निजी कार्य के लिए राज्य से बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं। किंतु विधायक बिना किसी पूर्व सूचना के इसे निजी कार्य से बिहार से बाहर राजस्थान के कोटा ले गए थे।

सत्तारूढ़ दल के सचेतक के रूप में आवंटित है गाड़ी

विधानसभा सचिवालय को नहीं दी कोटा जाने की सूचना

विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया है कि वाहन चालक को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में बिना विधानसभा सचिवालय की अनुमति के विभागीय वाहन को राज्य से बाहर नहीं ले जाना है। जिस विधायक को यह गाड़ी आवंटित है, यदि वह ऐसा करते हैं तो इसकी सूचना उन्हें तुरंत विधानसभा सचिवालय को देनी होगी। किंतु ऐसी कोई सूचना सचिवालय को नहीं दी गई, जिसे नियम के विरुद्ध मानकर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विपक्ष को मिला मुद्दा- तेजस्वी ने सरकार से पूछे सात सवाल

लॉकडाउन की बंदिशों के बीच बीजेपी विधायक अनिल सिंह द्वारा कोटा से बेंटी को लाने के मामले ने विपक्ष को मुद्दा थमा दिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए सात सवाल पूछे हैं।

विधायक की सफाई: प्राइवेट गाड़ी से गए थे कोटा

इस मामले में विधायक अनिल सिंह ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल से इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट और सरकारी गाड़ियों का बनवाया था, लेकिन प्राइवेट गाड़ी से ही कोटा गए थे।

विदित हो कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोटा में पढ़ रहे अपने बच्चों को वापस बुलाने का फैसला किया तथा उन्हें लाने के लिए बसें भेजी। इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की मर्यादा का उल्लंघन बताया तथा कहा कि बिहार के बच्चों को कोटा में ही रहने की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी बीच बीजेपी विधायक कोटा से अपने बेंटी को लेकर बिहार आ गए। इसे लेकर सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगाया गया है। अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही बिहार सरकार ने राजस्थान में फंसे बिहारियों की भी सुध ली है।

कोटा मामले में बिहार ने बढ़ाया राजस्थान पर दबाव

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने मंगलवार को कहा कि कोटा एवं राजस्थान के अन्य शहरों में फंसे बिहार के हजारों छात्रों एवं कामगारों के रहने-खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ओम बिड़ला आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से बचाव के लिए बिहार की तैयारियों की जानकारी ले रहे थे।

मंत्री बोले: विधायक के खिलाफ होगी कार्रवाई

इस मामले में बिहार के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाला कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायक अनिल सिंह पर भी बीजेपी कार्रवाई करेगी।

विधायक को पास जारी करने वाले अधिकारी निलंबित

बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने फिर कहा है कि कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को वर्तमान हालात में वापस बुलाना ठीक नहीं है। इस बाबत मुख्यमंत्री भी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। इस बीच विधायक को पास जारी करने वाले सदर एसडीएम अनु कुमार को निलंबित कर दिया गया है। नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा की अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें निलंबित किया है।

विधायक के वाहन चालक से भी मांगा गया स्पष्टीकरण

लॉकडाउन के दौरान बीजेपी विधायक अनिल सिंह द्वारा



आशीष राज, स्थानीय संपादक, न्यूज़ टुडे

कोरोना महामारी के बीच बिहार इस आपातकाल की स्थिति में गरीबों के लिए एक व्यक्ति बना हुआ है मसीहा

कोरोना महामारी के बीच बिहार इस आपातकाल की स्थिति में गरीबों के लिए एक व्यक्ति मसीहा बना हुआ है। इस शख्स ने लगातार भारत में चल रहे लॉक डाउन के दौरान जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाकर अनाज से लेकर राहत की हर एक सामग्री पहुंचाई है। जी हां हम बात कर रहे हैं पटना के निवासी मोहम्मद खालिद अजीम की, जो लगातार इस मुश्किल परिस्थिति में हर समुदाय के गरीबों के लिए बढ़-चढ़कर आगे आए हैं, इनके लिए समाज सेवा मजहब से भी बड़ी दायित्व है। उन्होंने सभी संप्रदाय के लोगों से इस संकट की घड़ी में जरूरतमंदों के लिए आगे आने की अपील की। जिस तरीके से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सात वचनों में से एक वचन था "अपने आसपास के गरीबों को भूखा नहीं सोने दे" इस संकट की घड़ी में सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों के लिए भी यह इंसान काफी आगे आया है, इनके द्वारा जानवरों के लिए भी रोटी एवं खाने का वितरण किया जा रहा है।



www.newstodayupdate.in

भारत में कोरोना वायरस के अब तक 20240 मामले



स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19)के अब तक 20240 मामले सामने आ गए हैं। 15, 670 लोगों का इलाज जारी है। 4006 लोग ठीक हो गए हैं। 652 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 5218 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में 2156 और गुजरात में 2272 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।

देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छूट वाली सेवाओं को लेकर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण जारी, अब किताब और मोबाइल



ई. युवराज,
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 न्यूज़ टुडे मीडिया समूह

देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छूट वाली सेवाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय का कहना है कि पहले जारी दिशा-निर्देशों के तहत घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की इजाजत है। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फ़ैक्ट्री और आटा मिल को भी परिचालन की अनुमति दी जा चुकी है। इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री की भी इजाजत है।

छूट वाली सेवाओं पर असमंजस को लेकर सरकार ने साफ की स्थिति

गृह मंत्रालय ने बताया कि अब तक जारी दिशा-निर्देशों के तहत सेवाओं और गतिविधियों को मिली छूट को लेकर आ रहे प्रश्नों को देखने के बाद नए सिरे से नोट जारी किया जा रहा है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में मंत्रालय ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फ़ैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को परिचालन की अनुमति है। कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति है।

पहले के दिशानिर्देशों को स्पष्ट करते हुए गृह मंत्रालय ने दी जानकारी

मंत्रालय ने कहा कि निचले स्तर पर किसी तरह का धम नहीं पैदा हो, इसलिए जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को इस संबंध में सूचित किया जाए। मंत्रालय ने बंदरगाहों पर गतिविधियों के लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है।



मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी कार्यालय, फ़ैक्ट्री या संस्थान में काम के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग से जुड़े प्रावधानों के पालन में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। सरकार कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों को भी पूरी तरह मंजूरी दे चुकी है। इनमें फसलों की कटाई, बोआई और खरीद आदि शामिल हैं। ग्रीन जोन में फिजिकल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के अन्य मानकों के पालन के साथ कुछ उद्योगों को भी परिचालन की अनुमति दी गई है।

पब, सिनेमाहॉल, बार, मॉल, जिम आदि और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद

रेड जोन व ऑरेंज जोन में गतिविधियों को छूट नहीं दी गई है। वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन होता रहेगा। जहां संक्रमण के ज्यादा मामले हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। नियंत्रित मामले वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन में और संक्रमण मुक्त क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा गया है। पब, सिनेमाहॉल, बार, मॉल, जिम आदि और सभी शैक्षणिक संस्थान हर जगह बंद रहेंगे।

इन्हें भी है अनुमति

—घरों में वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट —आटा और दाल मिल, ब्रेड की फ़ैक्ट्री का परिचालन —दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों भी कर सकती हैं काम

Yuvrajaj Media & Entertainment
 बिहार विधानसभा चुनाव में डिजीटल प्रचार के लिए संपर्क करें:
 Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830